[2008] 2 एस.सी.आर. 756

बलू उर्फ़ भक्तवत्सलू

बनाम

तमिलनाडु राज्य

(वर्ष 2008 का आपराधिक अपील संख्या 295)

12 फरवरी, 2008

[एस.बी. सिन्हा और वी.एस. सिरपुरकर, न्यायमूर्तिगण]

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 - अपचारी किशोर की आयु - अपराध कारित होने की तिथि पर निर्धारण - उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील - विचारण न्यायाधीश को अपराध कारित होने की तिथि पर किशोर की आयु के संबंध में जांच करने का निर्देश - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006

इस अपील में विचारार्थ जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, वह यह था कि क्या अपीलकर्ता, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का अपराध कारित करने के लिए मुकदमा चलाया गया था, घटना घटित होने की तिथि पर किशोर था।

अपील को स्वीकार करते हुए और विचारण न्यायमूर्ति को निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारितः वर्तमान मामले में, विचारण न्यायमूर्ति को अपराध कारित होने की तिथि पर अपीलकर्ता की आयु के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और यदि यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अर्थ के अंतर्गत किशोर था, तो उन्हें कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ना चाहिए। [कंडिका 16] [765- बी]

प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य **2005 (3) एससीसी 551;** *गुरप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्य* **2005 (12) एससीसी 615;** *रविंदर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **2006 (5) एससीसी 584;** *जितेन्द्र राम बनाम झारखंड राज्य* **2006 (9) एससीसी 428** - ***पर अवलंबन किया गया।***

अर्नित दास बनाम बिहार राज्य ***2000 (5) एससीसी 488- ए - संदर्भित किया गया।***

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : वर्ष 2008 का दांडिक अपील संख्या 295

मद्रास उच्च न्यायालय के दांडिक अपील संख्या 724/2001 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 16.11.2005 से

राणा मुखर्जी, आनंद, इंद्राणी, इक्षित सहारिया और अभिजीत सेनगुप्ता, अपीलकर्ता के लिए।

वी.जी. प्रागासम, एस. जोसेफ अरिस्तोटल, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया

एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति। 1. विशेष अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध कारित करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। घटना 20 अप्रैल, 1998 को घटित हुई थी। उसे 8 मई, 1998 को रामू मिस्त्री नामक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अन्वेषण पूरा होने पर, उसके विरुद्ध 30 नवंबर, 1998 को आरोप पत्र दायर किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने 28 अप्रैल, 2000 को अपना निर्णय सुनाया। उक्त निर्णय में उसकी आयु '18' वर्ष दर्शाई गई थी। उसे तमिलनाडु बोर्स्टल स्कूल अधिनियम की धारा 10-ए के निबंधनों के अनुसार बोर्स्टल स्कूल भेजने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई अपील को आक्षेपित निर्णय के कारण खारिज कर दिया गया है।

इस न्यायालय ने इस बात पर एक सीमित सूचना जारी किया कि क्या अपीलकर्ता घटना घटित होने की तिथि पर किशोर था।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुखर्जी ने यह निवेदन किया कि अभिलेख पर रखी गई विषय वस्तु को देखते हुए, अपीलकर्ता की आयु के संबंध में एक जांच प्रारंभ की जानी चाहिए थी।

4. जब घटना घटित हुई थी, तब किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (इसके बाद जिसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) लागू था, जिसके निबंधनों के अनुसार, धारा 2(ज) के तहत एक किशोर को ऐसे लड़के के रूप में परिभाषित किया गया था जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।

5. संसद ने, हालांकि, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया। यह 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी हुआ।

6. धारा 2(ट) के तहत 'किशोर' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो।

7. अधिनियम की धारा 20 निम्नलिखित रूप में पठित है:

"20. लंबित मामलों के संबंध में विशेष उपबंध:-

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को किसी भी न्यायालय में किसी किशोर के संबंध में लंबित सभी कार्यवाहियाँ उस न्यायालय में इस प्रकार जारी रखी जाएँगी मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था और यदि न्यायालय यह पाता है कि किशोर ने अपराध कारित किया है, तो वह ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और किशोर के संबंध में कोई दंडादेश पारित करने के बजाय, किशोर को बोर्ड के पास भेजेगा, जो उस किशोर के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार आदेश पारित करेगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन जांच पर संतुष्ट हो चुका हो कि किशोर ने अपराध कारित किया है।"

8. यह प्रश्न उठाया गया था कि अर्नित दास बनाम बिहार राज्य : (2000) 5 एससीसी 488 में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, किशोर की आयु की गणना करने के लिए घटना घटित होने की तिथि सुसंगत तिथि होगी या अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की तिथि। उक्त निर्णय की शुद्धता इस न्यायालय की एक संविधान पीठ के समक्ष *प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य* : (2005) 3 एससीसी 551 में विचार के लिए आई। संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया,

"31. अधिनियम की धारा 20, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, लंबित मामलों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है और एक गैर-प्रतिरोधी खंड से प्रारंभ होती है। यह वाक्य "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को किसी भी न्यायालय में किसी किशोर के संबंध में लंबित सभी कार्यवाहियाँ" अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 20 में संदर्भित किसी भी न्यायालय में लंबित किसी किशोर के संबंध में कार्यवाहियाँ, 2000 के अधिनियम के लागू होने से पहले प्रारंभ की गई उन

कार्यवाहियों से संबंधित हैं जो 2000 के अधिनियम के लागू होने के समय लंबित हैं। "कोई भी न्यायालय" शब्द में साधारण आपराधिक न्यायालय भी सम्मिलित होंगे। यदि व्यक्ति 1986 के अधिनियम के तहत एक "किशोर" था, तो कार्यवाहियाँ आपराधिक न्यायालयों में लंबित नहीं होतीं। वे आपराधिक न्यायालयों में केवल तभी लंबित होतीं जब लड़के ने 16 वर्ष की आयु पार कर ली होती या लड़की ने 18 वर्ष की आयु पार कर ली होती। यह दर्शाता है कि धारा 20 उन मामलों को संदर्भित करती है जहाँ कोई व्यक्ति 1986 के अधिनियम के तहत किशोर नहीं रह गया था लेकिन उसने अभी तक 18 वर्ष की आयु पार नहीं की थी, तब लंबित मामला उस न्यायालय में इस प्रकार जारी रहेगा मानो 2000 का अधिनियम पारित नहीं किया गया था और यदि न्यायालय यह पाता है कि किशोर ने अपराध कारित किया है, तो वह ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और किशोर के संबंध में कोई दंडादेश पारित करने के बजाय, किशोर को बोर्ड के पास भेजेगा जो उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगा।"

इससे निष्कर्ष निकला:-

37. कुल परिणाम यह है:

- - -

(ख) 2000 का अधिनियम 1986 के अधिनियम के अधीन प्रारंभ की गई और किसी भी न्यायालय/प्राधिकारी में लंबित ऐसी कार्यवाही में लागू होगा जो 2000 के अधिनियम के लागू होने के समय लंबित है और उस व्यक्ति ने 1-4-2001 को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी।

एक पृथक निर्णय में, हममें से एक (एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति) ने यह कथन किया:-

"95. अतः, 2000 के अधिनियम की धारा 20 तब लागू होगी जब कोई व्यक्ति 1-4-2001 को 18 वर्ष से कम आयु का हो। अधिनियम की धारा 20 को आकर्षित करने के प्रयोजन के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि: (i) लागू होने की तिथि को वे कार्यवाहियाँ लंबित थीं जिनमें याचिकाकर्ता अभियुक्त था; और (ii) उस दिन वह 18 वर्ष से कम आयु का था। उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, उपरोक्त दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। 2000 के उक्त अधिनियम के

उपबंधों के कारण, एक किशोर को प्रदान किया गया संरक्षण केवल विस्तारित किया गया है, परंतु ऐसा विस्तार पूर्ण नहीं है बल्कि केवल एक सीमित विस्तार है। यह कड़ाई से तब लागू होगा जब धारा 20 या धारा 64 में समाविष्ट उसके लिए पूर्ववर्ती शर्तें पूरी होती हों। उक्त उपबंध विशिष्ट रूप से "किशोर" या "अपचारी किशोर" शब्दों को बार-बार संदर्भित करते हैं। यह अधिनियम का उद्देश्य प्रतीत होता है और संसद के वास्तविक आशय को अभिनिश्चित करने के लिए, उद्देश्यपूर्ण निर्वचन के नियम को अपनाया जाना चाहिए। अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि कोई बालक किसी वयस्क की संगति में रहता है। इस प्रकार, 2000 के अधिनियम का आशय केवल उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत आने वाले किशोर को संरक्षण देना है न कि किसी वयस्क को। दूसरे शब्दों में, हालांकि यह ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त न करने के कारण अभी भी एक किशोर है, परंतु यह ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसने इसके लागू होने की तिथि को पहले ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या जिसने अपराध कारित होने की तिथि को 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी परंतु तब से वह किशोर नहीं रह गया है।"

9. हाल ही में संसद ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 (जो 23.8.2006 से प्रभावी हुआ) पेश किया है, *जिसके निबंधनों के अनुसार 'किशोर' की परिभाषा को भूतप्रेक्षी और प्रत्यावर्तात्मक* अर्थ देते हुए यह कथन किया गया है :-

"4. मूल अधिनियम की धारा 2 में,

(iv) खण्ड (l) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(l) "विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर" से ऐसा किशोर अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसने कोई अपराध कारित किया है और जिसने ऐसे अपराध कारित होने की तिथि को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;"

10. इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय और संसद द्वारा किए गए संशोधनों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से इस प्रश्न पर विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या अपीलकर्ता 1 अप्रैल, 2001 को '18' वर्ष की आयु का था।

11. इस प्रकार की परिस्थिति में, जहाँ किसी किशोर के विचारित होने और विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कठिन आजीवन कारावास से दोषसिद्ध किए जाने की संभावना के बावजूद, इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में निर्णयों में किशोर की आयु के संबंध में जांच किए जाने का निर्देश दिया है।

12. हम उनमें से कुछ का उल्लेख करेंगे।

13. *गुरप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्य* : (2005) 12 एससीसी 615 में इस न्यायालय की एक पीठ ने यह राय व्यक्त की :-

> "18. आपराधिक अपील संख्या 710 ऑफ 1995 के समर्थन में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रभा शंकर मिश्रा ने, गुण-दोष के आधार पर अपीलकर्ता मोहिंदर पाल सिंह की दोषसिद्धि को चुनौती देने के अतिरिक्त (जिसका निस्तारण हम पहले ही कर चुके हैं), यह निवेदन किया कि कथित घटना की तिथि को वह किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2(एच) के अर्थ के अंतर्गत एक किशोर था क्योंकि उस तिथि को उसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिंदु न तो विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया गया था और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष। परंतु यह सुस्थापित है कि ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय को पहले अभियुक्त की दोषसिद्धि की वैधता या अन्यथा पर विचार करना चाहिए और यदि दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है, तो विचारण न्यायालय से इस बिंदु पर प्रतिवेदन मंगाई जानी चाहिए कि क्या अभियुक्त घटना की तिथि को किशोर था, तथा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि यह पाया जाता है कि अभियुक्त उस तिथि को किशोर था और अभी भी वैसा ही बना हुआ है, तो उसे किशोर गृह भेजा जाएगा। परंतु यदि न्यायालय यह पाता है कि घटना की तिथि को वह किशोर था लेकिन जिस तिथि को यह न्यायालय विचारण न्यायालय से प्राप्त प्रतिवेदन पर अंतिम आदेश पारित कर रहा है, वह अब किशोर नहीं रह गया है, तो उसके विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य होगा। इस संबंध में इस न्यायालय के *भूप राम बनाम उत्तर प्रदेश 7* राज्य वाले एक निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिस मामले में अपील के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के समय विचारण न्यायालय से यह प्रतिवेदन मंगाई गई थी कि अभियुक्त किशोर था या नहीं, जिसने यह

प्रतिवेदन दी कि अभियुक्त घटना की तिथि को किशोर नहीं था, परंतु इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय की प्रतिवेदन से असहमति जताते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अपराध कारित होने की तिथि को अभियुक्त किशोर था और चूंकि इस न्यायालय के निर्णय के दिन वह अब किशोर नहीं रह गया था, इसलिए उसके विरुद्ध दी गई सजा को अपास्त कर दिया गया, हालांकि दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था। वर्तमान मामले में, हम अपीलकर्ता मोहिंदर पाल सिंह की दोषसिद्धि को भी पहले ही बरकरार रख चुके हैं, परंतु घटना की तिथि को उसकी आयु के संबंध में विचारण न्यायालय से प्रतिवेदन मंगाना न्यायसंगत और समीचीन होगा।"

यह निर्देशित किया गया था:

"20. अपीलकर्ता मोहिंदर पाल सिंह द्वारा दायर वर्ष 1995 की आपराधिक अपील संख्या 710 में, विचारण न्यायालय से इस आशय की प्रतिवेदन मंगाई जाए कि क्या घटना की तिथि को यह अपीलकर्ता किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2(h) के अर्थ के अंतर्गत किशोर था? विचारण न्यायालय दोनों पक्षों को इस बिंदु पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। विचारण न्यायालय के संपूर्ण मूल अभिलेख उसे वापस लौटा दिए जाएं। यह प्रतिवेदन और साथ ही अभिलेख इस आदेश की प्राप्ति के तीन महीने की अवधि के भीतर इस न्यायालय को भेजे जाने चाहिए। विचारण न्यायालय से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, इस अपील में अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।"

14. *रविंदर सिंह गोर्खी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* : (2006) 5 एससीसी 584 में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :-

"21. न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति की जन्म तिथि का अवधारण, चाहे वह दीवानी कार्यवाही में हो या आपराधिक कार्यवाही में, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ऐसी जन्म तिथि का अवधारण अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के मूल्यांकन का विषय होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों के संबंध में दीवानी मामले या आपराधिक मामले में अलग-अलग मानक लागू नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया :-

“38. "विद्यालय के पंजी में या अन्यथा दर्ज किसी व्यक्ति की आयु का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, अर्थात्, प्रवेश प्राप्त करने के लिए; नियुक्ति प्राप्त करने के लिए; चुनाव लड़ने के लिए; विवाह के पंजीकरण के लिए; सीलिंग कानूनों (अधिकतम सीमा विधियों) के अंतर्गत एक अलग इकाई प्राप्त करने के लिए; और यहाँ तक कि किसी दीवानी मंच के समक्ष मुकदमा लड़ने के प्रयोजन के लिए, जैसे कि न्यायालय में किसी संरक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता या जहाँ इस आधार पर वाद दायर किया गया हो कि वादी के नाबालिग होने के कारण उसमें उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था या उसकी ओर से किया गया कोई भी संव्यवहार (लेनदेन) शून्य था क्योंकि वह नाबालिग था। किसी वाद के पक्षकार की आयु का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, कानून की अदालत को साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों के संबंध में समान मानक लागू करना होगा। किसी अभियुक्त के मामले में कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता, जैसा कि अपहरण या बलात्कार, या इसी तरह के किसी अपराध के मामले में जहाँ पीड़ित या अभियोक्त्री ने भले ही अभियुक्त के साथ सहमति दी हो, यदि विद्यालय द्वारा संधारित पंजी में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया जाता है, तो अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थिति में अभियुक्त को अन्यायपूर्ण रूप से दोषसिद्ध किया जा सकता है।"

39. अतः, हमारी यह राय है कि जब तक किसी कानून के अंतर्गत निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति की आयु का अवधारण किया जाना आवश्यक न हो, तब तक साक्ष्य का अलग मानक नहीं अपनाया जाना चाहिए। यह निस्संदेह सत्य है कि न्यायालय को एक संतुलन बनाना चाहिए। विवाद की स्थिति में, न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन कर सकता है। किसी किशोर को लाभ प्रदान करना कानून की अदालत का कर्तव्य होगा, बशर्ते कि वह किशोर हो। ऐसे व्यक्ति को वही लाभ देना जो वास्तव में किशोर नहीं है, पीड़ित के साथ अन्याय का कारण बन सकता है। इस मामले में, अपीलकर्ता

अपनी इस दलील को प्रस्तुत करने में कभी गंभीर नहीं रहा था कि वह अपराध कारित होने की तिथि को नाबालिग था। उसने ऐसा कथन पहली बार तब किया जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसकी परीक्षा की गई थी।

40. अपीलकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक सुसंगत तथ्य है। उसके पिता गाँव के "प्रधान" थे। वह बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र के कब्जे में पाया गया था। पूरी कार्यवाही के दौरान उसका प्रतिनिधित्व एक अधिवक्ता द्वारा किया गया था। न्यायालय ने उसकी आयु 18 वर्ष होने का अनुमान लगाया था। उस पर अन्य अभियुक्तों के साथ संयुक्त रूप से विचारण चलाया गया था। उसके साथ अन्य अभियुक्तों के समान ही व्यवहार किया गया था। मामले के गुण-दोष के आधार पर भी अपीलकर्ता उसी पायदान पर खड़ा है जिस पर अन्य अभियुक्त हैं। अभियोजन ने अपना मामला साबित कर दिया है। वास्तव में ऐसी कोई दलील नहीं उठाई जा सकती थी क्योंकि समान रूप से स्थित व्यक्तियों की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी जब न्यायालय ने उसके द्वारा पहली बार उठाए गए इस तर्क के संबंध में नोटिस जारी किया था कि वह घटना की तिथि को नाबालिग था।"

15. तथापि, *जितेंद्र राम बनाम झारखंड राज्य* : (2006) 9 एससीसी 428 में इस न्यायालय ने यह ध्यान दिया कि ऐसी ही परिस्थिति में एक जांच किया जाना आवश्यक होगा। यह कथन किया गया था :-

"20. तथापि, हम इस न्यायालय के भोला भगत बनाम बिहार राज्य वाले निर्णय से अनभिज्ञ नहीं हैं, जिसमें न्यायालय पर यह दायित्व डाला गया है कि सामाजिक रूप से उन्मुख विधान की हितकारी प्रकृति के संबंध में जहाँ ऐसी दलील उठाई जाती है, वहाँ अत्यधिक सावधानी के साथ उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। तथापि, हमारी यह राय है कि इसका अर्थ यह नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के लाभ का हकदार नहीं है, उसके साथ केवल इसलिए उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाएगा क्योंकि ऐसी दलील उठाई गई है। प्रत्येक दलील को उसके अपने गुण-दोष के आधार पर आंका जाना चाहिए। प्रत्येक मामले पर अभिलेख पर लाई गई सामग्रियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।"

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया:-

22. अतः, हमारी यह राय है कि अपराध कारित होने की तिथि को अपीलकर्ता की आयु का अवधारण विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा नए सिरे से किया जाना चाहिए।

16. अतः, हमारा यह विचार है कि इस मामले में विचारण न्यायाधीश को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह अपराध कारित होने की तिथि को अपीलकर्ता की आयु के संबंध में जांच करें और यदि यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता उक्त अधिनियम के उपबंधों के अर्थ के अंतर्गत एक किशोर था, तो वह कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ें। तदनुसार निर्देशित किया जाता है।

17. उपरोक्त शर्तों पर अपील स्वीकार की जाती है।

एन.जे. अपील स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।